कार्यालयः अध्यक्ष रद्दी नीलामी कमेटी, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : रद्दी / नीलामी / 2024 / 302 दिनांक :– 28/08/2024

:: रद्दी नीलामी सूचना ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम के अभिलेखागार व सांगानेर न्यायालय स्थित अभिलेखागार को शामिल करते हुए वित्त–वर्ष 2024–25 के दौरान तलफशुदा पत्रावलियों व अखबार की रद्दी तादादी अनुमानित मात्रा 150–200 क्विंटल की नीलामी हेतु सीलबंद नीलामी दरें आमंत्रित की जाती हैं जिसके अंतर्गत सीलबंद दरें दिनांक 09.09.2024 को जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम की अभिलेखागार शाखा में दोपहर 3:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी जो नीलामी कमेटी द्वारा उसी दिन अपरान्ह् 4:30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। नीलामी के नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस को इस कार्यालय में एवं न्यायालय की वेबसाईट https://jaipurmetro1.dcourts.gov.in पर तथा http://sppp.raj.nic.in portal पर देखी जा सकती है।

–:: नीलामी के नियम व शर्तें ::–

1. रद्दी की नीलामी दरें प्रस्तुत करने वालों को अपनी दरें फर्म के लैटर पैड अथवा सादा कागज़ पर प्रति किलोग्राम की दर से लिखकर देनी होगी। रद्दी की नीलामी दरें स्पष्ट अक्षरों में लिखनी होगी। नीलामी दरों में कोई कांट–छांट नहीं होनी चाहिये। अमानत राशि रूपये 5,000/– नीलामी दरों के साथ नकद जमा कराने होंगे। अमानत राशि जमा नहीं कराने वाली फर्म बोली में भाग नहीं ले सकेगी।
2. नीलामी तिथि स्थगित करने अथवा प्राप्त बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रद्दी नीलामी कमेटी को होगा।
3. अधिकतम राशि की नीलामी दर देने वाले के नाम नीलामी छोड़ना या नहीं छोड़ना तथा नीलामी दर को मंजूर या नामंजूर करने का अधिकार नीलामी कमेटी का होगा।
4. नीलामी दर स्वीकृत होने के तुरन्त बाद रूपये 12,500/–(अक्षरे बारह हजार पांच सौ रूपये मात्र) स्वीकृत बोली–दाता द्वारा धरोहर राशि के रूप में अग्रिम जमा करवाये जायेंगे जिन्हें अंत में रद्दी की कीमत में समायोजित कर लिया जायेगा। नीलामी दर मंजूर होने के बाद स्वीकृत बोली–दाता को रद्दी 15 दिन के भीतर अपने खर्चे से भरकर, उठाकर, तुलवाकर ले जानी होगी तत्पश्चात् वित्त वर्ष के दौरान समय समय पर इकट्ठी होने वाली रद्दी को बोली–दाता को सूचित करने के सात दिवस में निर्धारित राशि जमा करवाकर उठानी होगी अन्यथा जमाशुदा धरोहर राशि जब्त सरकार कर ली जायेगी।
5. धडी/मीटर कांटे से रद्दी की तोल नहीं करवाई जावेगी। रद्दी की तुलाई धर्मकांटें से करवाई जावेगी। समस्त व्यय स्वीकृत बोली–दाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
6. जिन बोली–दाताओं की नीलामी दरें स्वीकार नहीं होगी, उनके द्वारा जमा कराई गई राशि रू0 5,000/–तुरन्त लौटा दी जावेगी। सफल बोली–दाता की अमानत राशि को धरोहर राशि में समायोजित करते हुए शेष राशि 7,500/– रूपये प्राप्त किये जावेंगे।
7. उठाई गई रद्दी की राशि पर नियमानुसार देय दर से जी0एस0टी0 जमा करवाई जांनी होगी व रद्दी उठाते ही जी0एस0टी0 जमा करवाकर चालान उसी दिन पेश करना होगा।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में रद्दी नीलामी कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

SD

अध्यक्ष
रद्दी नीलामी कमेटी एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, क्रम–3
जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : रद्दी / नीलामी / 2024 / 307 दिनांक :– 28/08/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदया, जयपुर महानगर–प्रथम।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जयपुर जिला, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम को राज्य सरकार की वेबसाईट http://sppp.raj.nic.in portal पर अपलोड करने बाबत्।
4. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम/न्यायालय परिसर की प्रत्येक मंजिल के प्रत्येक ब्लॉक में दर्शनीय स्थल पर चस्पा हेतु।
5. श्री अंकुर शर्मा, सिस्टम अधिकारी को जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अध्यक्ष
रद्दी नीलामी कमेटी एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, क्रम–3
जयपुर महानगर–प्रथम